बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश 326 /2026

सं0सं0 अ0नि0 (02) 40 / 2025 / नि0सं0

श्रीमती रिचा मिश्रा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम–220A के प्रावधानों के आलोक में शिशु देखभाल हेतु दिनांक 04.11.2026 से 22.01.2027 तक कुल 80 (अस्सी) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मिश्रा के अवकाश अवधि में इनके कार्यों का निष्पादन श्री कुमार प्रफुल कश्यप, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) द्वारा किया जायेगा।

2. श्रीमती रिचा मिश्रा द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात् इनका कुल 730–54–80 = 596 दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित रहेगा।

3. इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

उप सचिव।

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 40 / 2025 / नि0सं0..... दिनांक

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) / मुख्य अभियोजक, बिहारशरीफ (नालंदा) / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती रिचा मिश्रा, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) / श्री कुमार प्रफुल कश्यप, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –

उप सचिव।

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 40 / 2025 / नि0सं0 2955 दिनांक 03/11/26

प्रतिलिपिः– ~ प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/11/26

उप सचिव।